राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12 (7) राज/वाद/2024 जयपुर, दिनांक: 09-04-2025

समस्त प्रशासनिक विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष
.....,
.....।

::परिपत्र::

इस विभाग के परिपत्र प.12(13)लाइट्स(1)राज/वाद/2018 दिनांक 21.10.2019 के द्वारा राजकीय वादकरण के संचालन और प्रभावी पैरवी के लिए समुचित दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। तदुपरांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के द्वारा एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 807/2012 सरदार मल यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.02.2025 की पालना में समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03.03.2025 जारी कर माननीय न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा राजकीय अधिकताओं के पास प्रकरणों की पत्रावली की उपलब्धता, जवाब प्रस्तुत करने की स्थिति तथा प्रकरणों की मासिक समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने एक अन्य प्रकरण एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या–4213/2016 बद्रीनारायण शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पुनः राजकीय वादकरण की स्थिति के संबंध निर्देश प्रदान किए हैं। उक्त प्रकरण में भी वाद प्रभारी अधिकारी के द्वारा प्रकरण में पैरवीरत राजकीय अधिवक्ता को प्रकरण पत्रावली व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जाना पाया गया है।

राजकीय वादकरण के संचालन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी विभाग का विधि प्रकोष्ठ और प्रकरण का वाद प्रभारी अधिकारी होता है, किसी भी न्यायिक प्रकरण में उचित स्तर के प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति तथा उसके पास पर्याप्त स्टॉफ की उपलब्धता प्रकरण के सफलतापूर्ण संचालन के लिये अपेक्षित है। इसी प्रकार विभाग के संपूर्ण वादकरण के संचालन के लिये विधि प्रकोष्ठ की स्थापना और उसमें समुचित स्तर के विधि सेवा के अधिकारी की नियुक्ति तथा उसके पास पर्याप्त स्टॉफ की उपलब्धता विभाग के वादकरण के सफलतापूर्ण संचालन के लिये अपेक्षित है। राजकीय वादकरण नीति, 2018 में उक्त दोनो ही के लिये समुचित निर्देश हैं किन्तु यह पाया गया है कि उक्त नीति के अपेक्षानुसार राजकीय वादकरण की समुचित एवं प्रभावी मॉनेटरिग विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग स्तर से नहीं हो रही है तथा विधि प्रकोष्ठ का समुचित संचालन भी अपेक्षानुसार प्रशासनिक विभागों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में जारी दिशा निर्देशों की निरंतरता में पुनः सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलंब निम्न कार्रवाई संपादित करें–

1. माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, रा.सि.सेवा अपील अधिकरण, दीवानी और अन्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के वाद प्रभारी अधिकारियों की ऑनलाइन मीटिंग आयोजित कर उनके पास उपलब्ध रिकॉर्ड की, प्रकरण में पैरवीरत राजकीय अधिवक्ता के पास उपलब्धता को सुनिश्चित करायें।
2. वाद प्रभारी अधिकारियों को विधि एवं विधिक कार्य विभाग की नियमावली, 1999 के नियम 233 तथा वादकरण नीति, 2018 और समय–समय पर इस विभाग के द्वारा जारी परिपत्रों के अनुक्रम में उनके दायित्वों से अवगत करायें।
3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों के लिए विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को विभाग के सभी प्रकरणों की सूची तैयार कर उनमें वाद प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति तथा उसके रिकॉर्ड की वाद प्रभारी अधिकारी के पास उपलब्धता तथा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किए जाने की स्थिति को अवलिम्ब सुनिश्चित करायें।
4. सभी विभागों को यह भी व्यादिष्ट किया जाता है कि वे अधिकतम 01 माह के अन्दर उनके विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों की सूची विभागीय अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता को उपलब्ध करायें। इस निर्देश की समयबद्ध पालना नहीं किये जाने पर संबंधित विभागीय नोडल अधिकारी और वाद प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
5. माननीय न्यायालयों में पैरवीरत राजकीय अधिवक्ताओं से भी यह अनुरोध किया जावे की प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष के द्वारा उपलब्ध कराई गई लंबित वादकरण की सूची में से

निरन्तर.....2

उनके पास जिन प्रकरणों की पत्रावलियां/रिकॉर्ड व दस्तावेज़ उन्हें उपलब्ध नहीं है उनके संबंध में विभाग के नोडल अधिकारी को अवगत करायें ताकि अविलम्ब रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जा सके।

6. वादकरण नीति, 2018 के अनुसार विधि प्रकोष्ठ की स्थापना प्रत्येक विभागाध्यक्ष एवं प्रशासनिक सचिव कार्यालय स्तर पर सुनिश्चित की जावे तथा उक्त प्रकोष्ठ में समुचित स्तर के विधि अधिकारी और स्टाफ की नियुक्ति को भी सुनिश्चित किया जावे।
7. राजकीय वादकरण की निरंतर मॉनिटरिंग के लिए स्थापित वेब पोर्टल LITES (Litigation Information Tracking and Evaluation System) से प्रकरणों की एंट्री/अपडेशन तथा मॉनिटरिंग की जावे तथा माननीय न्यायालयों में दिन–प्रतिदिन सुनवाई में लगने वाले प्रकरणों की वाद सूची (Cause List) LITES के रिकॉर्ड के आधार पर भी तैयार होकर वाद प्रभारी अधिकारी और विधि प्रकोष्ठ को उपलब्ध होने की व्यवस्था भी उक्त पोर्टल में की जावे।
8. लंबित वादकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराने और उक्त में जवाब प्रस्तुत करने में विलम्ब करने पर दोषी कार्मिक/अधिकारी को चिह्नित किया जाकर उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जावे।
9. सभी वाद प्रभारी अधिकारियों से उनके दायित्वों एवं विभाग के द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें और यदि किसी प्रकरण विशेष में वाद प्रभारी अधिकारी द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में त्रुटि करने पर माननीय न्यायालय के द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है या कोई कॉस्ट (Cost) अधिरोपित की जाती है, तो इस संदर्भ में परीक्षण कर प्रभारी अधिकारी के कार्य में लापहरवाही/उदासीनता पाये जाने पर उक्त राशि संबंधित वाद प्रभारी अधिकारी/संबंधित दोषी अधिकारी से वसूल की जावे तथा उसके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में भी इस आशय की प्रतिकूल टिप्पणी अंकित की जावे।

निर्देशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

ह०/-
(ब्रजेन्द्र जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

क्रमांक प.12(7)/राज/वाद/2024 जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव विधि, राजस्थान जयपुर।
5. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को उनके डायरी क्रमांक W6810 दिनांक 04.04.25 के क्रम में।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/राजस्थान जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता,राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/पीठ जयपुर ।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता/पैनल अधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकार्डस राजस्थान सरकार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
9. राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता/उप राजकीय अधिवक्ता/सहायक राजकीय अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/पीठ जयपुर।
10. शासन संयुक्त सचिव, न्याय विभाग,शासन सचिवालय जयपुर को लाईटस सॉफ्टवेयर से संबंधित बिन्दुओं की प्रभावी मॉनेटरिंग हेतु प्रेषित है।
11. समस्त वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी/वरिष्ठ विधि अधिकारी,विधि विभाग जयपुर।
12. प्रशासक वादकरण राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/ पीठ जयपुर
13. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
14. एनालस्टि कम प्रोगामर सह उप निदेशक, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
16. रक्षित पत्रावली।

09.04.2025

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि